न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, प्रतापगढ़।

वाद संख्या 35/08
सत्यनारायण सिंह महाविद्यालय भादोसी , ग्राम सरकार

अन्तर्गत धारा 143ज0 वि0अधि0
ग्राम-रामपुरप्रान तहसील सदर
जिला- प्रतापगढ़।

आदेश

प्रस्तुत वाद सत्यनारायण महाविद्यालय भादोसी, द्वारा अशोक कुमार सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह निवासी 18/18 सिविल लाइन्स रायबरेली द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अधि0 इस कथन के साथ योजित किया गया है कि प्रथमपक्ष जरिये बैनामा गाटा संख्या 1क, 2, 3, 13 रकबा 4-1-10 ग्राम रामपुर प्रान तहसील सदर का भूमिधर है, जिसका नामान्तरण हो चुका है। उक्त भूमि मे खेती की जाती रही है। अब व्यवसायिक प्रयोग करना चाहता है। जिसको भवन निर्माण करने की आवश्यकता है। इन्जीनियर द्वारा नक्शा ट्रेस कराया जा चुका है। नक्शे को प्रमाणित करते हुए उक्त भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति दी जावे। तथा भूमिधरी भूमि का व्यवसायिक रूप से प्रयोग होने घोषणा आदेश दिया जाय। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, नकल खतौनी 1409 ता 1414 फ0 1409 ता 1414 फ0 प्रभारमुक्त प्रमाण पत्र तथा नक्शा की फोटो प्रति दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण मे तहसील से आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार सदर द्वारा आख्या दिनांक 26-5-08 व 2/5508को अग्रसारित किया है। रा0 नि0 द्वारा अपनी आख्या मे कहा है कि ग्राम रामपुरप्रान के गाटा संख्या 1क, 2, 3, 13 रकबा 4-1-10 अभिलेखो मे सत्यनारायन महाविद्यालय भादोसी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वर्तमान मे कृषि नही हो रहा है। साथ मे प्रारूप नियम 135 संलग्न किया गया है। ज0 वि0 अधि0 की धारा 143 के तहत उक्त गाटो पर व्यवसायिक भूमि घोषित करने की आख्या दिया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गया। पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहराई से परिशीलन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 26-5-08 व 2-5-08 के प्रारूप नियम 135 के अनुसार ग्राम रामपुरप्रान तहसील सदर के गाटा संख्या 1क, 2, 3, 13 रकबा 1.031हे0 कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ 143 के0 वि0 अधि0 के तहत व्यवसायिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 26-5-08 व 2-5-08 के प्रारूप नियम 135 की आख्या के अनुसार ग्राम रामपुरप्रान के गाटा संख्या 1क, 2, 3, 13 रकबा 1.031हे0 कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजनार्थ धारा 143 ज0 वि0 अधि0 के तहत व्यवसायिक भूमि उद्घोषित किया जाता है। आख्या तहसील दिनांक 26-5-08 व 2-5-08 आदेश का अंग होगी। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर को अभिलेखो मे इन्द्राज हेतु भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय। प्रति उपनिबन्धक, सदर को भी प्रेषित हो।

दिनांक 4-6-08

उप जिलाधिकारी सदर,
प्रतापगढ़।

Principal
Indra Pharmacy College
Gadwara, Pratapgarh